

# अंचल अधिकारी का कार्यालय, कुचाई।

निलाम पत्र वाद अभिलेख संख्या 02/2022-23

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश	अभ्युक्ति
	<p>अभिलेख संधारित किया गया। आवेदक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कुचाई जिला- सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) के आवेदनानुसार वाद की कार्यवाही प्रारंभ की गई, देनेदार वादी रधुनन्द सिंहदेव पिता- गिरिश चन्द्र सिंहदेव, ग्राम गोण्डपुर, थाना- खरसावाँ को नोटिस निर्गत कर निहित राशि को कार्यालय में जमा करने का निदेश दिया गया।</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। प्रमण्डलीय आयुक्त, सिंहभुम (कोल्हान) प्रमण्डल चाईबासा के पत्रांक 722 दिनांक 26.11.2021 एवं जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी सरायकेला-खरसावाँ के ज्ञापांक 73/नी0 दिनांक 01.12.2021 के आलोक में देनदार से वसूली हेतु नोटिस निर्गत कर निहित राशि को कार्यालय में जमा करने का निदेश दें।</p> <p>अभिलेख दिनांक 16/01/23 को उपस्थापित करें।</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। वादी उपस्थिति नहीं हुए दिनांक 20.01.2023 को नोटिस निर्गत करते हुए निहित राशि को कार्यालय में जमा करने का निदेश दें।</p> <p>अभिलेख दिनांक 20/01/23 को उपस्थापित करें।</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। रधुनन्द सिंहदेव पिता- गिरिश चन्द्र सिंहदेव, ग्राम गोण्डपुर, थाना- खरसावाँ उपस्थित हो कर निहित राशि 2375/- (दो हजार तीन सौ पचहत्तर) रुपये मात्र अंचल नजारत में जमा कर दिया है। तदनुसार निलाम पत्र वाद निष्पादित की जाती है।</p>	

अंचल अधिकारी,  
कुचाई।